सं. 15–05/जीए/2014–15–एफ एस एस ए आई (पीटी.1)
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
(सामान्य प्रशासन प्रभाग)
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
एफ डी ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली –110002.

06 फरवरी, 2015

विषयः 20 अगस्त, 2014 को आयोजित 15वीं प्राधिकरण बैठक का कार्यवृत्त

20 अगस्त, 2014 को आयोजित खाद्य प्राधिकरण की 15वीं बैठक का कार्यवृत्त लेते हुए 16 जनवरी 2015 को हुई बैठक में कार्यसूची सं 4 के 'कैरेमल' को एक सिंथेटिक रंग के रूप में विषय पर ध्यानाकर्षित करते हुए सुश्री मीतू कपूर ने वक्तव्य दिया कि 'कैरेमल' को एक सिंथेटिक रंग के रूप में स्वीकार किए जाने संबंधी उनके द्वारा उठाए गए विषय बिंदु को खाद्य प्राधिकरण की 15वीं बैठक के कार्यवृत्त में दर्शाया नहीं गया था। ये भी देखा गया कि असावधानीवश श्री सलीम वेल्जी, खाद्य संरक्षा आयुक्त, गोवा का नाम भी खाद्य प्राधिकरण की 15वीं बैठक के कार्यवृत्त में भागीदारों की सूची में प्रस्तुत नहीं किया गया था। जबकि उन्होंने इस बैठक में भाग लिया था। खाद्य प्राधिकरण की 15वीं बैठक का कार्यवृत्त उपरोक्त दो अवलोकनों के साथ अंगीकृत किया गया और उनकी पुष्टि की गई।

(राकेश कुलश्रेष्ठ)
संयुक्त सचिव (प्रबंधन)

संलग्नः
खाद्य प्राधिकरण की 15वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 20 अगस्त, 2014 को 11 बजे एफ डी ए भवन, नई दिल्ली में आयोजित खाद्य प्राधिकरण की 15वीं बैठक का कार्यवृत्त

श्री के. चंद्रमौली, अध्यक्ष, एफ एस एस ए आई की अध्यक्षता में दिनांक 20 अगस्त, 2014 को 11.00 बजे एफ डी ए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली में भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ एस एस ए आई) की 15वीं बैठक थी। बैठक में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की सूची **संलग्नक** में है। सदस्य जो बैठक में उपस्थित नहीं हो सके, उन्हें अवकाश की अनुमति दी गई।

प्राधिकरण के सदस्यों का अध्यक्ष ने स्वागत किया और एक संक्षिप्त परिचय के बाद बैठक का दौर शुरू हुआ। उन्होंने ध्यान दिलाया कि प्राधिकरण की पिछली बैठक 20 जून 2014 को आयोजित की गई थी, और इस बात पर जोर दिया कि प्राधिकरण की बैठक नियमित आधार पर करनी महत्वपूर्ण है जो कम से कम तीन महीने में एक बार की जाए, जिससे प्राधिकारियों द्वारा एक बड़ी संख्या में मानकों को सुसंगत करके अनुमोदित किया जा सके। इसके अलावा, उन्होंने प्राधिकरण के सदस्यों की मानकों की स्थापना में आने वाली काफी बड़ी चुनौती का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए धन्यवाद देते हुए सराहना भी की। मानकों को विकसित करने की आवश्यकता है, ऐसा करने से प्रवर्तन एजेंसियों के लिए उन्हें लागू करना आसान होगा।

एफ एस एस ए आई के अध्यक्ष, ने अगले महीने होने वाली एफ एस एस ए आई के सी ई ओ की सेवानिवृत्ति की ओर प्राधिकरण के सभी सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया और प्राधिकरण की तरफ से प्राधिकरण में काम करने के लिए सी ई ओ के योगदान का भारी आभार व्यक्त किया। इसके आगे उन्होंने उनको प्रक्रियाओं को व्यवस्थित बनाने और एफ एस एस ए आई कार्यालय में प्रणालियों को व्यवस्थित करने के लिए बधाई दी। इसके बाद, उन्होंने एफ एस एस ए आई के सी ई ओ से बैठक की कार्यवाही का संचालन करने का अनुरोध किया।

मद सं. 1: सदस्यों द्वारा रूचि का प्रकटीकरण

कार्यवाही शुरू करने से पहले बैठक में कार्यसूची मदों के संबंध में विचार किये जाने के लिए बैठक के दौरान मौजूद सभी सदस्यों ने ''रूचि की विशिष्ट घोषणा'' पर हस्ताक्षर किए।

मद. सं 2: दिनांक 20 जून 2014 को आयोजित हो चुकी पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

20 जून 2014 को आयोजित खाद्य प्राधिकरण की चौंदहवी बैठक के कार्यवृत्त को प्राधिकरण ने अपनाया, कार्यवृत्त के संशोधन के बाद अनुपूरक कार्यसूची संख्या 1 के रूप में, बिस्कुट में ''लेसिथीन और सोडियम स्टीरॉयल–2–लैट्यलेट'' का उपयोग करने के लिए संबंधित कार्यसूची नीचे दी गयी है:

''खाद्य प्राधिकरण ने माना और वैज्ञानिक समिति की सिफारिश को मंजूरी दी और इसके बाद बिस्कुट में लेसिथीन के प्रयोग के संबंध में अनुवर्ती संशोधन अधिसूचना का मसौदा तैयार किया''।

मद सं. 3: रिपोर्ट पर कार्रवाई–प्राधिकरण की 14वीं बैठक

बैठक में प्राधिकरण के सदस्यों को 20 जून, 2014 को आयोजित प्राधिकरण की 14वीं बैठक में कार्यसूची मदों से संबंधित कार्रवाई के बारे में सूचित किया गया। एआईएफपीए के प्रतिनिधि ने एफएस

एसएआई अधिकारियों के इस प्रयास की सराहना की और अनुरोध किया कि यदि खाद्य का विश्लेषण विधि पर आधारित एफ एस एस ए आई नियमावली का मसौदा वेबसाइट पर रखा जाए, तो हितधारकों की टिप्पणी एक बार फिर आ सकती है। यह बताया गया था कि इन पुस्तिकाओं को पहले भी एफ एस एस ए आई की वेबसाइट पर रखा गया था और अंतिम नियमावली पर की गयी टिप्पणी पर विचार करने के बाद उसे अनुमोदन के लिए प्राधिकरण की पिछली बैठक में रखा गया था। तथापि, प्राधिकरण के सदस्यों के अनुरोध पर यह नियमावली 15 के लिए फिर से एफ एस एस ए आई की वेबसाइट पर टिप्पणियां के लिए डाली गई है और उसके बाद एफ एस एस ए आई के नियमों के विश्लेषण की विधि को अंतिम रूप दिए जाने और अनुरूप बनाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा, एआईएफपीए के प्रतिनिधि ने मसौदा और अंतिम सूचनाओं को जल्दी से सुलझाने के तरीके सुझाए, जो एआईएसएसएआई के अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि प्राधिकरण लगातार मंत्रालय के साथ इस पहलू पर कार्यरत है और एफएसएस अधिनियम के संशोधन के लिए अधिसूचना प्रक्रिया पहले से ही मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित किया गया। इसमें नई खाद्य संरक्षा और मानक नियमों के पुनरीक्षण में कानून मंत्रालय की भूमिका की सराहना की गयी थी। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने पुनः निरीक्षण प्रक्रिया में तेजी लाने में पूर्ण समर्थन देने का आश्वासन दिया है।

यह भी नोट किया गया कि फलों और सब्जियों के लिए सूक्ष्मजीव विज्ञानी मानकों के मसौदे पर सीआईएल से टिप्पणियां प्राप्त हुईं।

मद सं. 4: मुख्य कार्यकारी अधिकारी की रिपोर्ट

सी ई ओ , एफ एस एस ए आई ने प्राधिकरण के सभी गणमान्य सदस्यों का स्वागत किया और प्राधिकरण की बैठकों में उनके सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उसके बाद उन्होंने प्राधिकरण की पिछली बैठक के बाद से इस अवधि के दौरान की गई गतिविधियों के संबंध में एक संक्षिप्त सिंहावलोकन दिया जिसमें केन्द्रीय लाइसेंस और राज्यों द्वारा जारी किए गए राज्य पंजीकरण/लाइसेंस की संख्या सहित प्रवर्तन गतिविधियां; निगरानी गतिविधियों; प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण; वैज्ञानिक समिति/वैज्ञानिक पैनल बैठकें और मानक सेटिंग पर काम की प्रगति; कोडेक्स के साथ मानकों के मिलान, कोडेक्स गतिविधियां और आईईसी गतिविधियां में भागीदारी भी शामिल थी।

सी ई ओ ने मैसर्स न्यूट्रासिटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के उत्पाद पर एफएसएसआईए सलाहकार के अनुमोदन के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, बोम्बे के फैसले पर भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश की ओर सभी सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने इसी के साथ ये भी जानकारी दी कि भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश से, उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया फिर से कार्यात्मक बन गई है। उन्होंने यह बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले को एफ एस एस ए आई की वेबसाइट पर हितधारकों को जानकारी देने के लिए रखा गया है।

उन्होंने ऑनलाइन उत्पाद अनुमोदन प्रणाली पर एक प्रस्तुति के बारे में सूचित किया जिससे कि उन्हें एफ एस एस ए आई द्वारा उद्योग प्रतिनिधियों से पहले ऑनलाइन आवेदन की सुविधाओं के साथ परिचित कराया जा सके।

सी ई ओ द्वारा रिपोर्ट की प्रस्तुति के बाद निम्नलिखित कार्यसूची मदों पर विचारविमर्श शुरू किया गयाः

कार्यसूची मद

1. जानकारी के लिए जारी की गयी अधिसूचनाएं–खाद्य व्यापार संचालकों के लिए मौजूदा लाइसेंस/पंजीकरण का रूपांतरण/नवीकरण को 4 फरवरी, 2015 तक करने की मांग को लेकर समय सीमा बढ़ाना

खाद्य प्राधिकरण ने खाद्य व्यापार संचालकसंचालकों के लिए मौजूदा लाइसेंस/पंजीकरण का रूपांतरण/नवीकरण को 4 फरवरी, 2015 तक करने की मांग को लेकर समय सीमा बढ़ाना के संबंध में के लिए जारी अधिसूचना को नोट किया जो जानकारी के लिए रखी गई थी। यह सी ई ओ द्वारा सूचित किया गया था कि वहां विभिन्न राज्यों के प्रदर्शन में काफी भिन्नता है। कुछ राज्यों में लाइसेंस और पंजीकरण का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है, जबकि अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सरकारों द्वारा यह काम पूरा होने के कगार पर है। केंद्रीय एफबीओ के रूपांतरण के मामले में यह लगभग पूरा हो गया है, लेकिन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा पंजीकरण करना असली चुनौती है।

2. दिनांक 7 मार्च, 2014 को आयोजित 11वीं केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की बैठक का कार्यवृत्त

7 मार्च 2014 को आयोजित 11वीं केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) की बैठक के कार्यवृत्त जो कि सूचना हेतु प्रस्तुत किए गए थे, खाद्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कर लिए गए।

प्राधिकरण के एक सदस्य नेएफएसएस कानून और प्राधिकरण की भूमिका को अधिक सुग्राह्य बनाने हेतु प्रत्येक राज्य में प्राधिकरण की बैठक आयोजित करने की सलाह दी। इसके प्रत्युत्तर में एफएसएसआईए अध्यक्ष ने इस तथ्य पर जोर दिया कि इस सलाह को बाद में समय आने पर स्वीकार किया जा सकता है लेकिन उन्होंने प्राधिकरण के सभी सदस्यों से केंद्रीय सलाहकार समिति बैठक के कार्यवृत्त की समीक्षा के बाद अपनी मूल्यवान टिप्पणियों का योगदान प्राधिकरण को दें जो कि तब विचार हेतु स्वीकार भी की जा सकती हैं।

3. विविध खाद्य पदार्थों में गैर–पोषक तत्व मिठास (स्वीटनर) के तौर पर स्टेविओल ग्लाइकोसाइड के प्रयोग की स्वीकृति

खाद्य प्राधिकरण ने वैज्ञानिक समिति की अनुशंसाओं को स्वीकार किया और इन ग्यारह उत्पादों में कोडेक्स के अनुसार गैर–पोषक तत्व मिटास (स्वीटनर) के तौर पर स्टेविओल ग्लाइकोसाइड के प्रयोग की स्वीकृति प्रदान कर दी :

खाद्य श्रेणी	अधिकतम स्तर (मिलीग्राम/किलोग्राम) (स्टेविओल के बराबर) (कोडेक्स के अनुसार 0–4 मिलीग्राम/किलोग्राम के जेईसीएफए एडीआई पर आधारित)
1. डेयरी आधिारित पेय फ्लेवर्ड	200
2. डेयरी के डेजर्ट्स (आइसक्रीम, फ्रोजेन डेजर्ट्स, क्रीम टॉपिंग्स)	330
3. दही	200
4. फ्रूट नेक्टर्स	200
5. गैर–कार्बोनेटे पानी पर आधारित पेय (गैर–अल्कोहलिक)	200
6. आइस लोलीज/एडिबल आइस	270

7. जैम्स, जैलीज, मुरब्बे	360
8. रेडी टु ईट सेरियल्स	350
9. कार्बोनेटेड वाटर	200
10. सॉफ्ट ड्रिंक कंसन्ट्रेट	200*
11. च्युइंग गम	3500

* पुनर्निर्माण के बाद अंतिम उत्पाद में

(ii) खाद्य प्राधिकरण ने स्टेविओल ग्लाइकोसाइड को च्युइंग गम (अधिकतम स्तर 3500 मिलीग्राम/किलोग्राम) के संबंध में और एक गोली, तरल और पाउडर के रूप में जिसमें करियर/फिलर सहित प्रति 100 मिलीग्राम में स्टेविओल के समतुल्य 7 मिलीग्राम तालिका का श्रेष्ठ स्वीनटर हो, के उपयोग को स्वीकृति प्रदान कर दी।

4. सिंथेटिक रंग के रूप में कैरेमल के वर्गीकरण की कार्यसूची

खाद्य प्राधिकरण ने वैज्ञानिक समिति की सिंथेटिक रंग के रूप में कैरेमल के वर्गीकरण की कार्यसूची को लेकर की गई अनुशंसाओं पर विचार करके, उनको स्वीकृति प्रदान कर दी और खाद्य संरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियम, 2011 के परिशिष्ट–क में संशोधन के प्रस्ताव के विनियम को भी स्वीकृति दे दी। हालांकि, एआईएफपीए का प्रतिनिधित्व करने वाले प्राधिकरण के सदस्य का विचार था कि कैरेमल एक प्राकृतिक रंग माना जाता है क्योंकि कैरेमलाइजेशन की प्रक्रिया में कोई भी सिंथेटिक प्रयोग नहीं होता। प्राधिकरण ने पाया कि 2012 में प्राधिकरण के द्वारा इस उत्पाद को स्वीकार करने के बाद, काफी समय नष्ट हो गया और वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल्स के स्तर पर काफी विस्तृत परिचर्चाएं संपन्न हुईं। इसे एक प्राकृतिक रंग के तौर पर वर्गीकृत न किए जाने का वर्तमान प्रस्ताव वैज्ञानिक समिति में परिचर्चा का एक परिणाम था। प्राधिकरण ने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। हालांकि, एआईएफपीए के प्रतिनिधि सदस्य ने आग्रह किया कि इस विषय पर उनका विरोध कार्यवृत्त में दर्ज किया जाए।

5. वित्तवर्ष 2013–14 के लिए प्राधिकरण के खाते का अनुमोदन

खाद्य प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2013–14 के लिए प्राधिकरण के खातों को स्वीकार कर उनका अनुमोदन कर दिया।

6. दूध और दुग्ध उत्पादों में मैलामाइन के मानदंडों को निर्धारित करने की स्वीकृति

खाद्य प्राधिकरण ने दूध और दुग्ध उत्पादों में मैलामाइन का अधिकतम स्तर जैसे पाउडर के रुप में आने वाले शिशु फार्मूले में 1 पीपीएम, खाद्यपदार्थ (शिशु फार्मूला से अलग) में 2.5 पीपीएम और तरल के रुप में आने वाले शिशु फार्मूले में 0.15 पीपीएम, निर्धारित करने हेतु वैज्ञानिक समिति की अनुशंसाओं को विचारा एवं अनुमोदित किया।

अनुपूरक कार्यसूची

अनुपूरक कार्यसूची मद 1: डेयरी विरंजक

खाद्य प्राधिकरण ने डेयरी विरंजक पर अनुपूरक कार्यसूची मद पर विचार किया और राख सामग्री, समग्र शक्कर और योजक के संबंध में प्राप्त टिप्पणियों पर भी ध्यान दिया, इन मुद्दों की जांच करने के लिए निम्न चार सदस्य वाली उप–समिति का गठन करने का निर्णय लिया गयाः

I. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, एनडीआरआई – अध्यक्ष

II. सुश्री मीतू कपूर, सीआईआई–सदस्य

III. सुश्री श्रेया पांडे, एआईएफपीए–सदस्य

IV. एनडीआरआई से एक विशेषज्ञ डा. ए.के. श्रीवास्तव द्वारा नामित किया जाएगा

यह उप–समिति टास्क फोर्स ग्रुप द्वारा दूध और दूग्ध उत्पाद पर आगे ध्यान देने के लिए इस कार्यसूची मद से संबंधित टिप्पणियां आगामी बैठक में प्रदान करेगी।

अनुपूरक कार्यसूची मद 2: दूध का सुद्दढ़ीकरण

खाद्य प्राधिकरण ने दूध के सुद्दढीकरण के साथ विटामिन ए और डी पर वैज्ञानिक समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया। हालांकि, प्राधिकरण के कुछ सदस्यों ने एफ एस एस ए आई, अध्यक्ष को अपनी टिप्पणियां प्राधिकरण को भेजने के लिए दी। इस विषय पर व्यापक चर्चा के बाद, यह फैसला किया गया कि कार्यसूची को दूध और दूग्ध उत्पादों के लिए टास्क फोर्स समूह के पास वापस भेजा जाए ताकि विज्ञान के व्यावहारिक कार्यान्वयन के साथ एक समाधान ढूंढा जा सके। इसके अलावा, निदेशक, एनडीआरआई ने कहा कि लौह का सबसे अच्छा स्रोत दूध है। उन्होंने इस पर प्राधिकरण को एक वैज्ञानिक नोट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया, जिस पर टास्क फोर्स द्वारा विचार किया जाए।

प्राधिकरण के एक सदस्य ने प्राधिकरण के सदस्यों का ध्यान इस तरफ खींचा कि तेल और वसा विशेषज्ञ समूह बहुत लंबे समय से नहीं मिले और इस विषय पर शीघ्र कार्रवाई करने का अनुरोध किया। यह सूचित किया गया कि तेल और वसा विशेषज्ञ समूह को पुनःगठित की किया जा रहा है और इसके बाद बैठक बुलाई जाएगी।

अंत में एफ एस एस ए आई के अध्यक्ष ने सक्रिय रूप से भाग लेने वाले प्राधिकरण के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया और एफ एस एस ए आई के सी ई ओ को प्राधिकरण के लिए उनके द्वारा भारी योगदान देने हेतु आभार व्यक्त किया और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अध्यक्ष

संलग्नक–1

भागीदारों की सूची

प्राधिकरण के सदस्य

1. श्री के. चंद्रमौली, अध्यक्ष, एफ एस एस ए आई
2. श्री डी.के. सामंतरे, सदस्य सचिव
3. श्री आर.के. जैन, एएस एंड डीजी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली
4. डा. रीटा वशिष्ठ, जेएस एंड एलसी, विधि एवं न्याय, नई दिल्ली
5. डा. जी. एस. टोटेज़ा, निदेशक, डेज़र्ट मेडिसन रिसर्च सेंटर (डीएमआरसी), न्यू पाली रोड, आईसीएमआर कैंपस II, टीएआई, 3 रेड क्रॉस रोड, नई दिल्ली
6. डा. ए.के. श्रीवास्तव, निदेशक, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, करनाल, हरियाणा–132001
7. डा (सुश्री) ललिता रामाकृष्णा गोडा, मुख्य वैज्ञानिक, प्रोटीन रसायन और तकनीक विभाग, सीएसआईआर, मैसूर, कर्नाटक
8. श्री रामेश्वर शर्मा, निदेशक, स्वास्थ्य सुरक्षा और विनियामक, शिमला, हिमाचल प्रदेश
9. डा. सुरेखा चोपडा, ओएसडी, डीएचएसआर, शिमला, हिमाचल प्रदेश
10. श्री के.एस. राणा, नामित अधिकारी, चंडीगढ़
11. डा. ए. आर. शर्मा, सीएमडी, मैसर्स रिसीला हेल्थ फूड्स लिमि, गांव मनवाला, सरोन रोड, धुरी, संगरुर, पंजाब
12. श्री वासुदेव के ठक्कर, अध्यक्ष, 'वी' केयर राइट एंड डयूटी एनजीओ, वी केयर हाऊस, केयर फार्म के सामने, करोडिया रोड, डाकघर–बाजवा, वडोदरा, गुजरात
13. सुश्री श्रेया पांडे, अखिल भारतीय खाद्य संसाधक एसोसिएशन, 206, अरबिंदो प्लेस मार्किट, हौज खास, नई दिल्ली
14. सुश्री मीतू कपूर, भारतीय उद्योग महासंघ (सीआईआई), इंडिया हैबिटेट सेंटर, 4ए, भूतल, लोधी रोड, नई दिल्ली
15. श्री थंगलूरा, मिजोरम उपभोक्ता संघ, ललाट चौक, टेम्पल स्केयर, तुईकुआल साउथ, एज़ोल, मिजोरम
16. श्री वी. बालासुब्रामणियम, महासचिव, प्राउन फार्मर फेडरेशन ऑफ इंडिया, 108/1, रेनबो ड्राइव लेऑउट, सरजापुर रोड, निकट–विप्रो, कार्पोरेट आफिस, बैंगलोर

17. श्री अबुकलाम, मदीना मुनव्वरा कॉफी एस्टेट, जयापुरा कोप्पा ताल्लूक चिकमगंलूर, कर्नाटक

एफ एस एस ए आई के अधिकारी

1. श्री एस. दवे, सलाहकार, एफ एस एस ए आई
2. सुश्री विनोद कोतवाल, निदेशक (कोडेक्स), एफ एस एस ए आई
3. श्री प्रदीप चक्रवर्ती, एचओडी निदेशक, एफ एस एस ए आई
4. डा. बिमल कुमार दूबे, निदेशक (निगरानी/प्रवर्तन) एफ एस एस ए आई
5. डा. मीनाक्षी सिंह, वैज्ञानिक (मानक), एफ एस एस ए आई
6. डा. संध्या काबरा, निदेशक (क्यूए), एफ एस एस ए आई
7. श्री राकेश कुलश्रेष्ठा, जेडी (एम), एफ एस एस ए आई
8. श्री अनिल मेहता, डीओ (उत्तरी क्षेत्र), एफ एस एस ए आई
9. श्री बी.जी. पांडियन, एडी (आयात), एफ एस एस ए आई
10. श्री पी. कार्तिकेयन, एडी (विनियम), एफ एस एस ए आई